वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर)
औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संवर्धन कार्यक्रम (आईआरडीपीपी)
सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों (पीएफआरआई) की मान्यता/पंजीकरण की योजना

सामान्य दिशानिर्देश

प्रस्तावना

डीएसआईआर सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों (पीएफआरआई) जैसे विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बैंगलोर, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों (अस्पताल के अतिरिक्त) को मान्यता/पंजीकरण प्रदान करने के लिए नोडल विभाग है। पंजीकृत पीएफआरआई संस्थान अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उपकरण, पुर्जे और सहायक उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों के आयात पर रियायती सीमा शुल्क छूट प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों/ संगठनों के प्रमुख डीएसआईआर के साथ विधिवत पंजीकृत हैं जो सीमा शुल्क छूट के लिए आर एंड डी माल को प्रमाणित कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

आर एंड डी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 51/96 - सीमा शुल्क दिनांक 23.07.1996 के माध्यम से पीएफआरआई संस्थानों को आर एंड डी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों/पुर्जों/उपभोग्य सामग्रियों के आयात पर सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाने की अनुमति दी है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2014 के लिए केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के साथ, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 01.03.2003 के अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क को अधिसूचना संख्या 28/2003-सीमा शुल्क के द्वारा संशोधन किया, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों (अस्पताल के अतिरिक्त) के विभागों और प्रयोगशालाओं को रियायती सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाने के लिए डीएसआईआर के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। आयातित खेप को संस्थान के प्रमुख से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मंजूरी दी जा सकती है जो यह प्रमाणित करता है कि उक्त सामान केवल अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अधिसूचना में एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को सीमा शुल्क की रियायती दर पर अनुसंधान उद्देश्यों के लिए सामान आयात करने के लिए डीएसआईआर पंजीकरण के लिए पात्र संस्थानों की सूची में शामिल किया गया है।

भारत सरकार ने संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 को 16 सितंबर, 2016 से लागू किया, क्योंकि केंद्र और राज्यों को माल और सेवा कर (जीएसटी) लगाने और एकत्र करने के लिए समवर्ती रूप से सशक्त बनाने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधनों की शुरुआत हुई। केंद्र सरकार ने दिनांक 19.06.2017 को अधिसूचना सं. 03.2017-केंद्रीय कर केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 को 22 जून, 2017 को प्रभावी रूप से अधिसूचित किया है। 1 जुलाई, 2017 को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 की संख्या 12) की शुरूआत भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की शुरूआत के बाद, माल के आयात को अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और लागू सीमा शुल्क के अलावा एकीकृत कर (आईजीएसटी) के अधीन होगा।

केंद्र सरकार ने दिनांक 14.11.2017 अधिसूचना सं. 47/2017-एकीकृत कर (दर) और दिनांक 14.11.2017, अधिसूचना संख्या 45/2017 - केंद्रीय कर (दर), दिनांक 14.11.2017 अधिसूचना संख्या 45/2017- केंद्र शासित प्रदेश कर (दर), जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, ने सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएससी, बैंगलोर,क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (अस्पताल के अतिरिक्त) को रियायती जीएसटी लाभ प्रदान किया है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने दिनांक 13 जुलाई, 2022 को 11/2022-केन्द्रीय कर (दर) और दिनांक 13 जुलाई, 2022 को अधिसूचना सं.11/2022-एकीकृत कर (दर), दि. 13.07.2022 को अधिसूचना सं. 42/2022 अनुसंधान और विकास उपकरण में जीएसटी की छूट के लिए संशोधन किया गया।

दायरा

अधिसूचना के अनुसार, वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री, उपस्कर और उपकरण (कंप्यूटर सहित), सहायक उपकरण भागों और उपभोग्य सामग्रियों और जीवित जानवरों (प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए), कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड-ओनली मेमोरी (सीडी-रोम) पर सीमा शुल्क छूट, रिकॉर्ड किए गए चुंबकीय टेप, माइक्रो-फिल्म और माइक्रो-फिश, "सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों" के लिए उपलब्ध है।

पात्रता मापदंड

कोई भी सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान या एक विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर या अस्पताल के अलावा एक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज।

पीएफआरआई आवेदन का माध्यम:

पात्र संस्थान या संगठन पीएफआरआई पंजीकरण के लिए निर्धारित प्रारूप (संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित) में पूरे वर्ष के लिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

"प्रमुख" का अर्थ है -

(i)किसी संस्था के संबंध में, उसके निदेशक (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो);
(ii)किसी विश्वविद्यालय के संबंध में, उसका कुलसचिव (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो);
(iii)किसी महाविद्यालय के संबंध में, उसके प्राचार्य (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो);

पीएफआरआई पंजीकरण का नवीनीकरण:

पहले से पंजीकृत पीएफआरआई संस्थान को पूर्ण विवरण के साथ अपना आवेदन अग्रिम रूप से सत्यापन की समाप्ति तिथि से तीन (3) महीने पहले जमा करना चाहिए। नवीनीकरण आवेदन जमा करते समय पूर्व के पीएफआरआई पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाए।

अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी), अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम, अनुसंधान कर्मचारी, अनुसंधान अवसंरचना, अनुसंधान एवं विकास बजट आवंटन, प्रकाशन पर विवरण

अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी)

आरएसी व्यापक आधार वाला होना चाहिए जिसमें कम से कम 10 विशेषज्ञ सदस्य हों, आरएसी व्यापक आधार वाला होना चाहिए जिसमें कम से कम 10 विशेषज्ञ सदस्य हों, जिनमें से 40% बाहरी विशेषज्ञ हों। यह भी सलाह दी जाती है कि आवेदन में आरएसी बोर्ड के सम्मानित सदस्यों की संबद्धता का उल्लेख किया जाना चाहिए। आरएसी सदस्यों को संस्थान के लिए अनुसंधान नीति का मार्गदर्शन करना चाहिए और आवेदक संस्थान के समग्र विकास और प्रगति को सक्षम करने के लिए अनुसंधान परिणामों की समीक्षा करनी चाहिए। आरएसी की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए।

अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम

आवेदक संस्थान के उच्च प्रभाव मूल्य के कम से कम 2 बाह्य/आंतरिक चल रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम होने चाहिए। संस्थानों/संगठनों के पास भविष्य के अनुसंधान अर्थात् भविष्य के अनुसंधान कार्यक्रम के फोकस दृष्टि होनी चाहिए।

अनुसंधान कर्मचारी

संस्थान के पास संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रमों पर काम करने के लिए पर्याप्त योग्य जनशक्ति के साथ अनुसंधान प्रकोष्ठ/केंद्र होना चाहिए । अनुसंधान प्रकोष्ठ और अनुसंधान परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए संस्थान में कम से कम **5** वैज्ञानिक/संकाय के पास पीएचडी/मास्टर डिग्री पूर्णकालिक आधार पर कार्यरत होना चाहिए।

अनुसंधान अवसंरचना

आवेदक संस्थान को कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे/उपकरणों से लैस होना चाहिए ।

आर एंड डी बजट आवंटन:

आवेदक संस्थान के पास शोध कार्य के लिए वार्षिक बजट आवंटन होना चाहिए और यह संस्थान के लिए कुल आवंटन के **5%** से कम नहीं होना चाहिए।

प्रकाशन:

आवेदक संस्थान के पास विगत तीन (3) वर्षों के दौरान कम से कम **10** शोध पत्र / प्रकाशित रिपोर्ट/पेटेंट होना चाहिए।

पंजीकरण की वैधता की अवधि

आवेदक संस्थान/संगठन के पास उपलब्ध अनुसंधान परिणामों/आउटपुट, आरएसी संविधान और बुनियादी ढांचे के आधार पर नए पंजीकरण के संबंध में समान्यतः**1-3** साल की अवधि के लिए विचार किया जाता है।

मौजूदा पीएफआरआई संस्थानों के पंजीकरण के नवीनीकरण पर **3-5** वर्षों की अवधि के लिए विचार किया जाता है, जो अनुसंधान परिणामों/उत्पादन, बुनियादी ढांचे और अनुसंधान एवं विकास के लिए बजटीय आवंटन पर निर्भर करता है।

नवीनीकरण आवेदन की विनिर्दिष्ट तिथि

पंजीकृत पीएफआरआई को पंजीकरण की वैधता से तीन महीने पहले नवीनीकरण आवेदन जमा करना होगा। देर से आवेदन पर संतोषजनक विलंब विवरण और स्पष्टीकरण के आधार पर गहन समीक्षा के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। यदि संस्थान/संगठन समय पर नवीनीकरण के लिए अपना आवेदन जमा करने में विफल रहता है, तो वे पंजीकरण की समाप्ति के 2 (दो) वर्ष के भीतर नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि, ऐसे प्रस्तावों को उनके सुविचारित विचारों/सिफारिशों के लिए जांच समिति को सूचित किया जाएगा। ऐसे मामलों में, स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय/सिफारिश लागू और अंतिम होगा।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि पीएफआरआई पंजीकरण के नवीनीकरण की वैधता, जहां आवेदक संस्थान/संगठन पंजीकरण वैधता तिथि से पहले अपना आवेदन जमा करने में विफल रहता है, नवीनीकरण (स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश के अधीन) प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से प्रभावी होगा। विभाग और संस्था/संगठन व्यपगत अवधि के लिए किसी भी सीमा शुल्क छूट/जीएसटी छूट का दावा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

पीएफआरआई के लिए जांच समिति

सीएसआईआर, आईसीएआर, आईसीएमआर और यूजीसी के विशेषज्ञों की एक अंतर-मंत्रालयी समिति पीएफआरआई पंजीकरण के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन करती है। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर संस्थानों को पंजीकरण दिया जाता है।

स्क्रीनिंग कमेटी की आवधिकता एक कैलेंडर वर्ष में मुख्यतः मार्च, जून,सितंबर और दिसंबर के महीने में त्रैमासिक रूप से हो सकती है।

नए प्रस्तावों से संबन्धित स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। हालांकि, स्क्रीनिंग कमेटी की टिप्पणियों के आधार पर, अस्वीकृत आवेदक, यदि चाहें तो अपने आवेदन पर पुनर्विचार के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कोई ढील नहीं दी जाएगी।

प्रारंभ में पीएफआरआई पंजीकरण पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता है। हालांकि, स्क्रीनिंग कमेटी प्रस्तावों की योग्यता के आधार पर पंजीकरण की कम अवधि जैसे एक (1) या दो (2) या तीन (3) वर्ष की सिफारिश कर सकती है।

स्क्रीनिंग कमेटी को मान्यता आवेदन पर विचार करने और मानदंडों में ढील देने और अपनी सिफारिशें देने का अधिकार है।

नोट : योजना को और सुदृढ़ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी/विभाग द्वारा वांछित होने पर दिशा-निर्देशों में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।

[***स्पष्टीकरण:***

(क) "सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान" का अर्थ एक शोध संस्थान है जिसके मामले में आवर्ती व्यय का कम से कम पचास प्रतिशत केंद्र सरकार या किसी राज्य की सरकार या किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है;

(ख) "विश्वविद्यालय" का अर्थ एक केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय है और इसमें शामिल हैं: -

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम,1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत एक संस्थान को उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक विश्वविद्यालय घोषित किया गया;

(ii) एक संस्था जिसे संसद द्वारा कानूनी तौर से राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है;

(iii) एक कॉलेज जो एक विश्वविद्यालय से संबद्ध या पोषित

(ग) "अस्पताल" में कोई भी संस्थान, केंद्र, ट्रस्ट, सोसाइटी,एसोसिएशन, प्रयोगशाला, क्लिनिक या मातृत्व गृह शामिल है जो चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या नैदानिक उपचार प्रदान करता है।]

आवेदन प्रपत्र

फ़ाइल संख्या : (केवल कार्यालयी उपयोग हेतु)

डीएसआईआर में प्राप्ति की तिथि: (केवल कार्यालयी उपयोग हेतु)

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार

सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज के पंजीकरण/नवीकरण के लिए आवेदन का प्रारूप, अस्पताल के अतिरिक्त कॉलेज, अधिसूचना के संदर्भ में सीमा शुल्क छूट प्राप्त करने के प्रयोजनों के अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क दिनांकित 23.07.1996, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है ।

<u>नोट: संस्थानों से अनुरोध है कि फॉर्म भरने से पहले अधिसूचनाएं, निर्देश पढ़ें</u>

1. संस्था का नाम

2. पंजीकरण संख्या और तिथि;2. पंजीकरण संख्या और तिथि; तक वैध है
   (डीएसआईआर द्वारा जारी अंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)
3. फोन/फैक्स/टेलेक्स/ग्राम/ई-मेल पता सहित

   पत्राचार का पता

4. संस्था की कानूनी स्थिति
   (अधिनियम, संशोधित एमओए या प्रासंगिक अधिसूचना की एक प्रति संलग्न करें)
5. संस्था के प्रमुख का नाम और पदनाम
6. अनुसंधान और प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रमों के व्यापक क्षेत्र
   (नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें)
7. संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) की संरचना।
   (विगत 2 वर्षों के दौरान हुई बैठकों की संख्या के बारे में बताएं। हाल की बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति भी संलग्न करें)।

8. परिशिष्ट-1 और 2 के अनुसार अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का विवरण
(*पिछली उपलब्धियां, जारी कार्यक्रमों और आगामी कार्यक्रमों का विवरण देते हुए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों से संबन्धित एक नोट भी संलग्न करें*)

9. अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न कर्मचारियों का विवरण
(*संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिक कार्मिकों/संकाय (विभागवार, कुल संख्या) की सम्पूर्ण सूची उनके पदनाम, योग्यता के साथ संलग्न करें*)

10. अनुसंधान के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे का विवरण
(*अनुसंधान गतिविधियों को करने के लिए संस्थान के पास उपलब्ध उपकरणों और सुविधाओं की सूची संलग्न करें*)

11. संस्थान को वित्त पोषण के स्रोत:
केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और अन्य का हिस्सा
(संस्था के गैर-योजनागत आवर्ती व्यय के लिए अनुदान जारी करने के लिए संबंधित सरकारी विभाग द्वारा जारी अंतिम 3 स्वीकृति आदेशों की नमूना प्रतियों के साथ संस्थान की प्राप्तियों और आवर्ती व्यय का विवरण संलग्न करें और संबंधित केंद्र/राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार संस्था के आवर्ती व्यय का कम से कम 50% पूरा करने की प्रतिबद्धता के संबंध में)

12. विगत दो वर्षों के अनुसंधान के लिए वार्षिक बजट (लाख रुपये में)

वर्ष	वर्ष 1		वर्ष 2	
	बाह्य	आंतरिक	बाह्य	आंतरिक
पूंजी				
राजस्व				
कुल				

उल्लेख करें कि क्या बजट में कर्मचारियों का वेतन शामिल है : हां / नहीं
[कृपया बाह्य परियोजनाओं के संचालन में फंडिंग एजेंसी द्वारा जारी किए गए स्वीकृति पत्रों की प्रति शामिल करें।]

13. अनुसंधान एवं विकास के लिए माल की औसत वार्षिक आयात/घरेलू खरीद (रु. लाख में)
(अंतिम पंजीकरण की तारीख से आयात/घरेलू खरीद की अर्धवार्षिक विवरण की प्रतियां संलग्न करें)

14. विगत दो वर्षों के दौरान प्रकाशित पत्रों की संख्या

(प्रकाशनों, उनके लेखकों, पत्रिकाओं/जर्नल पृष्ठों की सूची और जिस वर्ष उन्हें प्रकाशित किया गया था, उसकी उच्च आईएफ के साथ चयनित शोध पत्रों की प्रति के साथ संलग्न करें)

क्रमांक	उनके लेखकों के नाम के साथ प्रकाशन का शीर्षक	जर्नल का नाम	प्रभावी कारक	उद्धरण सूचकांक

15. विगत दो वर्षों के दौरान दायर पेटेंट की सूची :

(क) भारतीय (ख) विदेशी

16. संस्था द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कार और कोई अन्य सम्मान :

17. कोई अन्य जानकारी जो आप देना चाहें:

18. मैं, ----------(संस्था के प्रमुख का नाम और पद) एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही है। मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ:

(i) सीमा शुल्क छूट/जीएसटी सुविधा का उपयोग करने के संदर्भ में अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क दिनांक.23.7.1996, केवल अनुसंधान उद्देश्यों के लिए समय-समय पर संशोधित।

(ii) सीमा शुल्क छूट/जीएसटी सुविधा का लाभ न उठाना/उपयोग न करने के संदर्भ में अधिसूचना संख्या 51/96- सीमा शुल्क दिनांक 23.7.1996, जो अस्पतालों* या रोगी देखभाल गतिविधियों के लिए समय-समय पर संशोधित (*अस्पताल की परिभाषा अधिसूचना में देखी जा सकती है*)

(iii) अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग बजट प्रदान करना, जिसे अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) के अनुमोदन के अनुसार खर्च किया जाएगा और आयात के साथ-साथ घरेलू खरीद अनुसंधान के लिए बजट से की जाएगी।

(iv) सीमा शुल्क छूट/जीएसटी सुविधा का लाभ उठाकर आयातित माल की अर्ध-वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के संदर्भ में अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क दिनांक. 23.7.1996, समय-समय पर संशोधित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रत्येक वर्ष (31 दिसंबर और 30 जून तक) और विभाग द्वारा अनुरोध के अनुसार डीएसआईआर को ऐसी सभी जानकारी और दस्तावेज प्रदान करने के लिए, साथ ही डीएसआईआर अधिकारियों की पहुंच/टीमों को डीएसआईआर द्वारा मेरी संस्था को भेजा जाता है, ताकि पंजीकरण को जारी रखा जा सके और उसका रख-रखाव किया जा सके।

स्थान : पदनाम सहित हस्ताक्षर

दिनांक : संस्था प्रमुख की
(सील)

(नोट: उपरोक्त हस्ताक्षर करने वाले संस्थान के प्रमुख को उपक्रमों के सख्त अनुपालन के लिए एक तंत्र बनाना चाहिए।)

** अधिसूचना संख्या 51/96 - राजस्व विभाग द्वारा जारी सीमा शुल्क दिनांक 23-07-1996 अधिसूचना के अनुसार "अस्पताल" की परिभाषा के भीतर आने वाली गतिविधियों के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र मान्य नहीं है । संस्थानों को इस अधिसूचना के तहत शुल्क छूट प्राप्त करने से पहले अधिसूचना के माध्यम से जाने के लिए आगाह किया जाता है।*

<u>आवेदन के साथ निर्देश / दस्तावेज</u>

1. संस्था का कानूनी नाम स्थापित करने के लिए अधिसूचना की प्रति यदि कोई हो नाम परिवर्तन किया गया था,तो कृपया संबंधित अधिसूचना जमा करें।
2. पंजीकरण के नवीनीकरण के मामले में विभाग द्वारा जारी अंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
3. पूरा पत्राचार का पता दें। यदि पते में कोई परिवर्तन हो तो पते में परिवर्तन को उचित ठहराते हुए संबंधित आधिकारिक दस्तावेज जमा करें।
4. राजपत्र अधिसूचना,यूजीसी अधिसूचना, एनजीओ दर्पण पोर्टल पर विशिष्ट पहचान संख्या या संस्थान/श्वविद्यालय की कानूनी स्थिति स्थापित करने के लिए प्रासंगिक अधिसूचना प्रति ।
5. संस्थान के प्रमुख (वीसी/रजिस्ट्रार/निदेशक) का नाम और पदनाम उनके टेली-फैक्स और आधिकारिक ईमेल पते के साथ।
6. अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख करें और नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें।
7. अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) के बाहरी और आंतरिक सदस्यों के नाम, उनके पदनाम, संस्थागत संबद्धता के साथ दें। नवीनतम आरएसी बैठक के कार्यवृत्त और विगत 2 वर्षों में आयोजित ऐसी बैठकों की संख्या प्रस्तुत करें।

8. विगत , जारी और आगामी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को परिशिष्ट प्रारूप के अनुसार दें। **परिशिष्ट -1** के प्रारूप के अनुसार डीबीटी, डीएसटी, आईसीएमआर, आईसीएआर आदि से प्रायोजित परियोजनाओं को जमा करें।

9. अनुसंधान गतिविधियों में लगे संस्थान में कार्यरत संविदा/स्थायी (विभागवार, कुल संख्या) सहित वैज्ञानिक कर्मियों/संकाय की कुल सूची उनके पदनाम, योग्यता के साथ संलग्न करें।

10. अनुसंधान गतिविधियों को करने के लिए उपलब्ध अवसंरचना की संक्षिप्त सूची।

11. राज्य या केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश से वित्त पोषण का स्रोत। संस्थान के गैर-योजना आवर्ती व्यय के लिए अनुदान जारी करने के लिए संबंधित सरकारी विभाग द्वारा जारी अंतिम 3 स्वीकृति आदेशों की नमूना प्रतियों के साथ संस्थान की प्राप्तियों और आवर्ती व्यय का विवरण और संबंधित केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से एक पत्र संलग्न करें। सरकार विभाग संस्था के आवर्ती व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत पूरा करने की वचनबद्धता के संबंध में। विश्वविद्यालय/संस्थान के लिए नवीनतम बजट स्वीकृतियों की प्रति भी उपलब्ध कराएं।

12. संस्थान द्वारा विगत दो वर्षों में अनुसंधान हेतु स्वीकृत राशि का विवरण दें।

13. आर एंड डी के लिए माल की औसत वार्षिक आयात/घरेलू खरीद का उल्लेख करें और संलग्न प्रारूप, **अनुलग्नक -1** के अनुसार विगत पंजीकरण की तारीख से आयात/घरेलू खरीद की अर्ध-वार्षिक रिटर्न जमा करें।

14.उच्च आईएफ वाले चयनित शोध पत्रों की प्रति के साथ प्रकाशनों, उनके लेखकों, पत्रिकाओं/पत्रिकाओं के पृष्ठों और वर्ष जिसमें वे प्रकाशित हुए थे, की सूची संलग्न करें।

15. विगत वर्षों के दौरान भारत और विदेशों में दायर पेटेंटों की सूची :

16. विगत दो वर्षों में संस्थान द्वारा जीते गए पुरस्कार और कोई अन्य मान्यता :

17. कोई अन्य सूचना जो आवेदक देना चाहे।

18. संस्थान के प्रमुख (वीसी/रजिस्ट्रार/निदेशक) द्वारा हस्ताक्षरित एक संस्थान/विश्वविद्यालय के लेटर हेड पर एक"अंडरटेकिंग" जमा करें। उपक्रम का प्रारूप **अनुलग्नक -2** के रूप में संलग्न है। सभी संलग्नकों के साथ आवेदन की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट द्वारा निम्नलिखित पते पर जमा की जानी चाहिए: -

संयुक्त सचिव, डीएसआईआर और प्रमुख (पीएफआरआई)
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग,
प्रौद्योगिकी भवन,
नई महरौली रोड, नई दिल्ली - 110016

परिशिष्ट-1

अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों/ परियोजनाओं का प्रगति विवरण

क्रमांक	आर एंड डी परियोजना का शीर्षक और दायरा	जिस वर्ष शुरू हुआ	बजटीय परियोजना लागत (लाख रु में)			टिप्पणियां* (स्थिति: पूर्ण/ अपूर्ण)
			पूंजी	पुनरावर्ती	कुल	

* परियोजना के महत्वपूर्ण पहलुओं, अब तक की गई प्रगति और परियोजना में किए जाने वाले शेष अनुसंधान एवं विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रत्येक परियोजना पर एक छोटा-सा लेख संलग्न करें।

परिशिष्ट 2

प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास कार्य का विवरण (आगामी तीन वर्षों के लिए)

क्रमांक	प्रस्तावित परियोजना का शीर्षक और दायरा	परियोजना की अवधि	परियोजना की लागत (लाख रु. में)			आवश्यक उपकरण और उनकी लागत	टिप्पणियां
			पूंजी	पुनरावर्ती	कुल		(यदि आवश्यक हो तो अलग शीट का प्रयोग करें)

<u>अनुलग्नक -1</u>

सीमा शुल्क छूट के लिए डीएसआईआर के साथ पंजीकृत एक अस्पताल के अलावा, एक सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान या एक विश्वविद्यालय या एक आईआईटी या आईआईएससी बैंगलोर या एक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा अर्धवार्षिक रिटर्न सरकारी अधिसूचना संख्या- 51/96-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई,1996 के संदर्भ में और/या सरकारी अधिसूचना संख्या 10/97-केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 1 मार्च 1997 केंद्रीय शुल्क छूट, और/या सरकारी अधिसूचना संख्या 47/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 14.11.2017 जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

1. डीएसआईआर पंजीकरण
   संख्या और तिथि:
2. संस्थान का नाम:
3. संस्था के प्रमुख' का नाम और पदनाम :
4. सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाने वाले अनुसंधान के लिए आयात की गई सामान

		सीमा शुल्क छूट के लिए**			
क्रम सं	अर्धवार्षिक विवरणियों की अवधि	आयातित उपभोग्य सामग्रियों का कुल मूल्य (एफओबी/ सीआईएफ)। (लाख में)	आयातित उपकरणों का कुल मूल्य (एफओबी/ सीआईएफ) । (लाख में)	सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाने वाले कुल आयात। (लाख में)	अर्धवार्षिक विवरणी जमा करने की तिथि

(**विश्वविद्यालय के मामले में, (**विश्वविद्यालय के मामले में, विश्वविद्यालय द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाणपत्रों के आधार पर विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों द्वारा आयात/घरेलू खरीद का मूल्य शामिल करें)

(i) मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सही है।

(ii) सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट/जीएसटी की सुविधा का उपयोग केवल अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है,

स्थानः संस्था प्रमुख के पदनाम सहित हस्ताक्षर

दिनांक:

पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए प्रारूप

टीयू/वी/आरजी-सीडीई (पीएफआरआई नंबर)/2021-2024(अवधि) --- बार कोड में
सं.टीयू/वी/आरजी-सीडीई (पीएफआरआई नं)/2021 (शुरुआत का वर्ष) दिनांक:----------

सेवा में,

कखग

पता

विषय: सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज का पंजीकरण अस्पताल* के अतिरिक्त, सीमा शुल्क छूट प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क दिनांक 23.07.1996, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

उपरोक्त विषय पर दिनांक xx-yy-zzzz के आपके पत्र के के संदर्भ में यह पंजीकरण का प्रमाण पत्र है।

पंजीकरण का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि **क ख ग (पी एफ आर आई का नाम) शहर, राज्य, अस्पताल* के अतिरिक्त,** दिनांक 23.07.1996 अधिसूचना संख्या 51/96- सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 के द्वारा अधिसूचना संख्या 43/2017, दिनांक 13.07.2022 अधिसूचना संख्या 42/2022 के संदर्भ में सीमा शुल्क छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के साथ पंजीकृत है। केवल अनुसंधान उद्देश्यों के लिए समय-समय पर संशोधित। यह पंजीकरण ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है।

यह पंजीकरण **31.08.20aa** तक वैध है ।

कृपया पावती भेजें ।

भवदीय,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

**राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 51/96 - सीमा शुल्क दिनांक 23-07-1996 के अनुसार "अस्पताल" की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों के लिए पंजीकरण का*

प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। इस अधिसूचना के तहत सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाने से पहले संस्थानों को अधिसूचना पढ़ने की चेतावनी दी जाती है।

[भारत के राजपत्र, असाधारण, [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त

मंत्रालय (राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 47/2017-एकीकृतकर (दर)

नई दिल्ली, 14 नवंबर,2017

जी.एस.आर....(ई) - एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, जीएसआर....(ई)- एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (इसके बाद इस अधिसूचना में "उक्त के रूप में संदर्भित अधिनियम"), केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट माल को इतनी बड़ी मात्रा से छूट देता है। उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत उस पर लगने वाला एकीकृत कर, 5 प्रतिशत की दर से गणना की गई राशि से अधिक के रूप में, जब तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट संस्थानों को आपूर्ति की जाती है, विषय उक्त तालिका के कॉलम (4) में तदनुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार-

तालिका

क्रम सं	**संस्थानों का नाम**	**माल का विवरण**	**शर्तें**
(1)	(2)	(3)	(4)

	सार्वजनिक वित्त पोषित नुसंधान एक अस्पताल या एक विश्वविद्यालय या एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर या एक राष्ट्रीय संस्थान प्रौद्योगिकी/ क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा अन्य संस्थान	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, औजार,यंत्रांश, (कंप्यूटर सहित); (ख) सामान, भागों, उपभोग्य सामग्रियों और जीवित जानवर (प्रायोगिक उद्देश्य); (ग)कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉम्पैक्टडिस्क-रीड ओनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकॉर्ड किए गए चुंबकीय टेप, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश; (घ) प्रोटोटाइप, एक संस्था द्वारा प्राप्त प्रोटोटाइप का कुल मूल्य वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है।	(i)माल की आपूर्ति की जाती है -को या के लिये - (क) अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग या भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान और ऐसी संस्था एक अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है जो कि भारत सरकार के उप सचिव या राज्य सरकार के उप सचिव या संबंधित विभाग में केंद्र शासित प्रदेश में उप सचिव रैंक से नीचे का नहीं है निर्दिष्ट माल की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को; या (ख) में भारत सरकार के साथ पंजीकृत एक संस्थान

			वैज्ञानिक विभाग और अनुसंधान और ऐसी संस्था आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को भारत सरकार के उप सचिव या राज्य सरकार के उप सचिव या संबंधित विभाग में केंद्र शासित प्रदेश के उप सचिव के पद से नीचे के अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है। निर्दिष्ट माल की; (ii) संस्था आपूर्ति के समय, संस्था के प्रमुख से आपूर्तिकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है, प्रत्येक मामले में, यह प्रमाणित करते हुए कि उक्त सामान केवल अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं; (iii)प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए जीवित पशुओं की आपूर्ति के मामले में, संस्था आपूर्ति के समय, संस्था के प्रमुख से आपूर्तिकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है कि जीवित जानवरों को अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यक है और एक अनापत्ति संलग्न करें। जानवरों पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य के लिए समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

2.	अनुसंधान संस्थान, अस्पताल के अलावा	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी(कंप्यूटर सहित); (ख) सामान, यंत्रांश, उपभोग्य सामग्रियों और जीवित जानवर (प्रायोगिक उद्देश्य); (ग) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉम्पैक्ट डिस्क-रीड ओनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकॉर्ड किए गए चुंबकीय टेप, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश; (घ)प्राप्त प्रोटोटाइप का कुल मूल्य एक वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है।	(1) संस्था पंजीकृत है वैज्ञानिक और अनुसंधान विभाग में भारत सरकार के साथ, जो- (i) आपूर्ति के समय, संस्था के प्रमुख से आपूर्तिकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, प्रत्येक मामले में, यह प्रमाणित करते हुए कि उक्त सामान अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यक है और केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा; (ii) प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए जीवित पशुओं की आपूर्ति के मामले में, संस्था आपूर्ति के समय, संस्था के प्रमुख से आपूर्तिकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है कि जीवित जानवरों की आवश्यकता है

			अनुसंधान उद्देश्यों और संलग्न के उद्देश्य के लिए समिति द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। (2) उपरोक्त (1) के तहत आने वाले सामान को संस्था द्वारा स्थापना की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए स्थानांतरित या बेचा नहीं जाएगा।
3.	विभाग और अस्पताल के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की प्रयोगशालाएं	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी (कंप्यूटर सहित); (ख)उपकरण, सामान, यंत्रांश, उपभोग्य सामग्रियों और जीवित जानवर (प्रायोगिक उद्देश्य); (ग) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉम्पैक्ट डिस्क-रीड ओनली मेमोरी (सीडी-रोम),रिकॉर्ड किए गए चुंबकीय टेप, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश; (घ) प्रोटोटाइप, एक संस्थान द्वारा प्राप्त	(i)प्रत्येक मामले में संस्था के प्रमुख से आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति के समयसंस्था एक प्रमाण पत्र , प्रदान करती है , यह प्रमाणित करते हुए कि उक्त सामान केवल अनुसंधान ;उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं (ii) प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए जीवित पशुओं की आपूर्ति के मामले में, संस्था आपूर्ति के समय, संस्था के प्रमुख से आपूर्तिकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है कि जीवित जानवरों को अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यक है और एक अनापत्ति संलग्न करें। जानवरों पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य के लिए समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

		प्रोटोटाइप का कुल मूल्य एक वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है ।	
4.	क्षेत्रीय कैंसर केंद्र (कैंसर संस्थान)	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी यंत्र, औजार, उपकरण (कंप्यूटर सहित); (ख) सामान, यंत्रांश, सामग्रियों और जीवित जानवर (प्रायोगिक उद्देश्य); (ग) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉम्पैक्ट डिस्क-रीड ओनली मेमोरी (सीडी-रोम),रिकॉर्ड किए गए	(i) माल की आपूर्ति की जाती है वैज्ञानिक और अनुसंधान विभाग में भारत सरकार के साथ पंजीकृत क्षेत्रीय कैंसर केंद्र और ऐसी संस्था भारत सरकार के उप सचिव या राज्य सरकार के उप सचिव या उप सचिव के पद से नीचे के अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है। निर्दिष्ट सामान की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को संबंधित विभाग में केंद्र शासित प्रदेश में सचिव; (ii) संस्था आपूर्ति के समय, संस्था के प्रमुख से आपूर्तिकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है, प्रत्येक मामले में, यह प्रमाणित करते हुए कि उक्त सामान अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैंकेवल; (iii) प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए जीवित पशुओं की आपूर्ति के मामले में, संस्था आपूर्ति के समय, संस्थान के प्रमुख से आपूर्तिकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है कि जीवित जानवरों को अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यक है और एक अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। जानवरों पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य के लिए समिति द्वारा जारी किया गया।

		चुंबकीय टेप, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश।	

व्याख्या - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति-

(क) "सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान" का अर्थ एक शोध संस्थान है जिसके मामले में पचास प्रतिशत से कम नहीं है । आवर्ती व्यय का वहन केंद्र सरकार या किसी राज्य की सरकार या किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा किया जाता है*;*
(ख) "विश्वविद्यालय" का अर्थ है एक केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय और इसमें शामिल हैं -

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत घोषित एक संस्था, 1956 (1956 का 3) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक डीम्ड विश्वविद्यालय होना;

(ii) संसद द्वारा कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की गई संस्था;

(iii) एक कॉलेज द्वारा या उससे संबद्ध,

(iii) किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या संबद्ध महाविद्यालय;

(ग) "प्रमुख" का अर्थ है -

(i) किसी संस्था के संबंध में, उसके निदेशक (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो);

(ii) किसी विश्वविद्यालय के संबंध में, उसका कुलसचिव (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो);

(iii) किसी कॉलेज के संबंध में, उसके प्राचार्य (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो);

(घ) "अस्पताल" में कोई भी संस्थान, केंद्र, ट्रस्ट, सोसाइटी, एसोसिएशन, प्रयोगशाला, क्लिनिक या प्रसूति गृह शामिल है जो चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या नैदानिक उपचार प्रदान करता है।

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर,2017 से प्रभावी होगी ।

[एफ सं. 354/320/2017-टीआरयू]

(रुची बिष्ट) अवर सचिव, भारत सरकार